न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री अंशुल सिंह, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 245/2019 दायर दिनाँक 22.10.2019

वादी		प्रतिवादीगण
1. मोहम्मद सलीम पुत्र मांगीलाल व्योपारी निवासी फतेहपुरी गेट डीडवाना तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः–

1. श्री शिवभगवान वकील वादी

दिनाँक 03.01.2020

–:: निर्णय ::–

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी की कृषि भूमि खसरा सं0 215 रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 336/216 रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा वाके सरहद पठानों का बाढ तहसील डीडवाना में अवस्थित हैं। वादी की खातेदारी की कृषि भूमि के उनके हक अधिकार की आई भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम मो0 सफी दर्ज कर दिया गया है। जबकि वादी के पिता का सही नाम मांगीलाल व्योपारी है जो कि सही है। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड के कर्मचारियों व अधिकारियों की भूल व सहवन से वादी के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में मांगीलाल व्योपारी के स्थान पर मो0 सफी दर्ज कर दिया गया है। वादी के नाम से वादी के पिता के नाम से समस्त दस्तावेजों जैसे – आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, पैन कार्ड, बैंक खाता आदि में वादी के पिता का नाम मांगीलाल व्योपारी अंकित हो रखा है। जो कि वादी के पिता का वास्तविक व सही नाम है।

प्रार्थना वादी है कि वादी की कृषि भूमि खसरा सं0 215 रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 336/216 रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा वाके सरहद पठानों का बाढ तहसील डीडवाना में वादी के पिता का नाम मो0 सफी के स्थान पर सही नाम मांगीलाल व्योपारी राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जावें तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें।

प्रकरण में तहसीलदार, डीडवाना से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्र क्रमांक 2186 दिनांक 23.12.2019 के रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार वादी की कृषि भूमि

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 245/2019
दायर दिनाँक 22.10.2019 निर्णय दिनाँक 03.01.2020
मो0 सलीम बनाम तहसीलदार डीडवाना, वगैरा।

ग्राम पठानों का बाढ के खसरा सं0 215 रकबा 5.15 बीघा, खसरा सं0 336/216 रकबा 15.17 बीघा भूमि में वादी के पिता का नाम मो0 सफी है जो जरिये रजि0 दिनांक 28.05.2005 को पु.सं. 1 जिल्द सं0 217 में पृष्ठ सं0 152 क्र.सं. 2628 पर पंजियन के अनुसार क्रेता मो0 सलीम पुत्र हाजी मोहम्मद सफी कौम मुसलमान भाटी निवासी फतेहपुरी गेट के बाहर डीडवाना के नाम से खातेदारी दर्ज हुई। वादी का नाम मो0 सलीम पुत्र मांगीलाल वोपारी जिसका आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पैन कार्ड आदि में वादी के पिता का नाम मांगीलाल वोपारी दर्ज है। अतः वादी के पिता का नाम मांगीलाल वोपारी है जो कि सही है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। रेकर्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार वादी की कृषि भूमि ग्राम पठानों का बाढ के खसरा सं0 215 रकबा 5.15 बीघा, खसरा सं0 336/216 रकब्रा 15.17 बीघा भूमि में वादी के पिता का नाम मो0 सफी है जो जरिये रजि0 दिनांक 28.05.2005 को पु.सं. 1 जिल्द सं0 217 में पृष्ठ सं0 152 क्र.सं. 2628 पर पंजियन के अनुसार क्रेता मो0 सलीम पुत्र हाजी मोहम्मद सफी कौम मुसलमान भाटी निवासी फतेहपुरी गेट के बाहर डीडवाना के नाम से खातेदारी दर्ज हुई। चुंकि वादी के पिता का नाम पंजीबद्ध दस्तावेज से दर्ज हुआ है। अतः वादी के पिता का नाम धारा 136 के तहत दुरूस्त नहीं किया जा सकता है। वादी पंजीबद्ध शुद्धि पत्र से ही अपने पिता का नाम दुरूस्त करावें। वादी का वाद धारा 136 के तहत पोषनीय नहीं है।

आदेश

अतः हस्ब दावा वाके सरहद वाके सरहद पठानों का बाढ के खसरा सं0 215 रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 336/216 रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा में वादी के पिता का नाम मो0 सफी जो कि पंजीबद्ध दस्तावेज से दर्ज हुआ है। जिसका नाम दुरूस्त पंजीबद्ध दस्तावेज से ही हो सकता है। अतः वादी का वाद धारा 136 के तहत चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **03.01.2020** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2020.01.21 14:45:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: